



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-17042021-226681
CG-DL-W-17042021-226681

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 17—अप्रैल 23, 2021 (चैत्र 27, 1943)
No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 17—APRIL 23, 2021 (CHAITRA 27, 1943)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	239	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	393	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1659	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	853
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	131
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	897
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्क.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	239	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	393	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1659	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	853
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	131
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	897
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 अप्रैल 2021

सं. 3-1/2015-संस्कृत.।—महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के संगम ज्ञापन (एम.ओ.ए.) के नियम 11 के अनुसार शासी परिषद का तत्काल प्रभाव से 05 वर्षों के लिए एतद्वारा पुनर्गठन किया जाता है। परिषद की संरचना निम्नानुसार है:

शासी परिषद की संरचना :

- | | |
|--|---|
| 1. शिक्षा मंत्री | - अध्यक्ष |
| 2. प्रो. देवी प्रसाद त्रिपाठी | - उपाध्यक्ष |
| 3. प्रो. विरूपाक्ष वी. जडुपाल | - सचिव |
| 4. भारत सरकार के दो प्रतिनिधि | - i) संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय
ii) संयुक्त सचिव (भाषाएं), शिक्षा मंत्रालय |
| 5. नियम 11 (vi) महासभा द्वारा नामित किए गए दो सदस्य | - i) श्री कुप्पा शिव सुब्रह्मण्य अवदानि, गणपति, तिरूमाला, धर्मगिरी पाठशाला, तिरूमाला, आंध्र प्रदेश
ii) प्रो. गिरीश चंद्र पंत, विभागाध्यक्ष- संस्कृत जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली |
| 6. कुलपति, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (पूर्व में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान), नई दिल्ली। | |
| 7. उप सचिव (भाषाएं), शिक्षा मंत्रालय सहायक सदस्य। | |

सुमन दीक्षित, उप सचिव

सं. 3-1/2015-संस्कृत.।—भारत सरकार ने वैदिक अध्ययन की मौखिक परंपरा के संरक्षण, परिरक्षण और विकास के उद्देश्य से 1987 में उज्जैन में राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान नामक एक संस्था का गठन किया था जिसके द्वारा प्रतिष्ठान परम्परागत वैदिक संस्थाओं और शोधार्थियों को सहयोग प्रदान करने, अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्तियां प्रदान करने जैसी विभिन्न गतिविधियों को संचालित करेगा। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का XXI) 1987 में सं. 17451 के तहत इसका पंजीकरण किया गया था। मई 1993 में प्रतिष्ठान का नाम बदलकर महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन कर दिया गया था।

इस मंत्रालय की दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना संख्या एफ. 3-1/2015-एसकेटी.। के अधिक्रमण में, यह अधिसूचित किया जाता है कि प्रतिष्ठान के महासभा का महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन की नियमावली के नियम 4 के अनुसार 05 वर्षों के लिए पुनर्गठन किया गया है, जोकि तत्काल प्रभावी और निम्नानुसार होगा :

आम निकाय की संरचना

- | | | |
|-------------------------------|---|-----------|
| 1. शिक्षा मंत्री | — | अध्यक्ष |
| 2. प्रो. देवी प्रसाद त्रिपाठी | — | उपाध्यक्ष |

3. 4 (iv) परम्परागत वैदिक अध्ययन में शामिल — संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य
- 1) पंडित चन्द्र भानु शर्मा, बट्टी भगत, वेद विद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
 - 2) श्री कुप्पा शिव सुब्रह्मण्य अवदानि, गणपति, तिरुमाला धर्मगिरी पाठशाला, तिरुमाला, आंध्र प्रदेश।
 - 3) श्री शैलेन्द्र प्रसाद उनियाल, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय देव प्रयाग, उत्तराखण्ड।
 - 4) प्रो. वी. कुटुम्ब शास्त्री, पूर्व कुलपति, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली।
 - 5) डॉ. जीतराम भट, निदेशक, गोस्वामी गिरीधारी लाल शास्त्री विद्या प्रतिष्ठान, नई दिल्ली।
4. 4 (v) चार प्रख्यात वैदिक शोधार्थी
- 1) प्रो. हृदय रंजन शर्मा, आजीवन प्रतिष्ठित प्राध्यापक, पूर्व विभागाध्यक्ष, वेद विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
 - 2) प्रो. श्रीनिवास वाराखेडी, कुलपति, कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक, नागपुर।
 - 3) प्रो. रामचंद्र भट कोटमाने, पूर्व कुलपति, स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, बेंगलुरु।
 - 4) प्रो. गिरीश चंद्र पंत, विभागाध्यक्ष-संस्कृत, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
8. 4 (vii) भारत सरकार के तीन प्रतिनिधि
- 1) अपर सचिव, शिक्षा मंत्रालय
 - 2) संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय
 - 3) संयुक्त सचिव (भाषाएं), शिक्षा मंत्रालय
9. 4 (viii) अध्यक्ष, टी.टी. देवस्थानम, तिरुपति अथवा उनके नामिति;
10. 4 (ix) शंकर अकादमी ऑफ संस्कृत, संस्कृति और शास्त्रीय कला, नई दिल्ली के अध्यक्ष या उनके नामिति;
11. 4 (x) चतुरधाम वेद भवन न्यास, कानपुर के अध्यक्ष या उनके नामांकित;
12. 4 (xi) कुलपति, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (पूर्व में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान), नई दिल्ली;
13. 4 (xii) निदेशक, वैदिक संशोधन मंडल, पुणे;
14. 4 (xiii) सचिव, इंदिरा कला प्रतिष्ठान या उनके नामिति;
15. 4 (xiv) निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि:
- क) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और
- ख) राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति
16. 4 (xv) निम्नलिखित के कुलपति:
- क) कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय
- ख) सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय
- ग) जगन्नाथ विश्वविद्यालय और
- घ) गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय या उनके नामिति।
17. 4 (xvi) निदेशक, वी.आर.आर.आई. होशियारपुर या उनके नामिति;
18. 4 (xvii) संस्कृति विभाग का एक प्रतिनिधि;
19. 4 (xviii) सचिव, महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन और
20. 4 (xix) एसोसिएट सदस्य। संयुक्त सचिव (भाषा) एसोसिएट सदस्य होंगे।

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 6th April 2021

No.3-1/2015-Skt.I—The Governing Council in terms of Rule 11 of the MOA of Maharshi Sandipani Rashtriya Ved Vidya Pratisthan, Ujjain is hereby reconstituted for a period of 5 years with immediate effect. The composition of the Council is as under:

Composition of the Governing Council:

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Minister of Education | - | Chairman |
| 2. Prof. Devi Prasad Tripathi | - | Vice Chairman |
| 3. Prof. Viroopaksha V. Jaddipal | - | Secretary |
| 4. Two Representatives of the Govt. of India.- | - | i) Jt. Secretary&FA, M/o Education
ii) Jt. Secretary(L), M/o Education. |
| 5. (Rule 11(vi) Two Members to be nominated by the General Body | - | i) Shri Kuppa Shiv Subrahmanya Avadani,
Ganapati, Tirumala Dharmagiri Patashala,
Tirumala, Andhra Pradesh
ii) Prof. Girish Chandra Pant, HOD-Sanskrit,
Jamia Millia University, New Delhi. |
| 6. Vice Chancellor, Central Sanskrit University (earlier Rashtriya Sanskrit Sansthan), New Delhi. | | |
| 7. Deputy Secretary(Languages), Ministry of Education Associate Member. | | |

SUMAN DIXIT, Deputy Secretary

No. 3-1/2015-Skt.I—The Government of India constituted a Society in 1987 namely Rashtriya Veda Vidya Pratisthan at Ujjain with the objective to preserve, conserve and develop the oral tradition of Vedic studies for which the Pratisthan will undertake various activities such as support traditional vedic institutions and scholars, provide fellowships, scholarships etc. It has been registered under Societies Registration Act, 1860 (XXI of 1860) No. 17451 in 1987. The name of the Pratisthan was changed to Maharshi Sandipani Rashtriya Ved Vidya Pratisthan, Ujjain In May 1993.

In supersession to this Ministry's notification No.F.3-1/2015-Skt.I dated 05.06.2015, it is hereby notified that the General Body of the Pratisthan has been reconstituted in terms of Rule 4 of the Rules of Maharshi Sandipani Rashtriya Ved Vidiya Pratisthan, Ujjain for a period of 5 years which will be with immediate effect and as mentioned below:

Composition of the General Body

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Minister of Education | - | Chairman |
| 2. Prof. Devi Prasad Tripathi | - | Vice Chairman |
| 3. 4 (iv) Five members representing institutions engaged in traditional Vedic learning | - | i) Pandit. Chandra Bhanu Sharma,
Badri Bhagat Ved Vidyalaya,
Ghaziabad, Uttar Pradesh.
2) Shri Kuppa Shiv Subrahmanya Avadani,
Ganapati, Tirumala Dharmagiri Patashala,
Tirumala, Andhra Pradesh.
3) Dr. Shailendra Prasad Uniyal,
Central Sanskrit University,
Dev Prayag, Uttarakhand.
4) Prof. V. Kutumba Shastri, former VC,
Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi.
5) Dr. Jeetram Bhat, Director,
Goswami Giridhari Lal Shastri Vidya
Pratisthan, New Delhi. |
| 4. 4(v) Four eminent Vedic Scholars | | 1) Prof. Hriday Ranjan Sharma,
Ajivan Pratishist Pradhayapak,
Former HOD - Ved Deptt. Benaras Hindu
University, Varanasi, Uttar Pradesh. |

- 2) Prof. Shrinivas Varakhedi,
Vice Chancellor, Kavi Kulguru Kalidas
Sanskrit University, Ramtek, Nagpur.
- 3) Prof. Ramchandra Bhat Kotmane,
Former VC, Swami Vivekanand Yoga
University, Bengaluru
- 4) Prof. Girish Chandra Pant, HOD-Sanskrit,
Jamia Millia University, New Delhi.
8. 4(vii) Three Representatives of the Govt. of India.
 - 1) Addltional Secretary, Deptt. Of Higher Education
 - 2) JS& Financial Advisor, Ministry of Education.
 - 3) Joint Secretary(L), Ministry of Education.
9. 4(viii) Chairman T.T. Devasthanam, Tirupati or his nominee.
10. 4 (ix) Chairman of the Shankara Academy of Sanskrit, Culture and Classical Arts, New Delhi or his nominee.
11. 4 (x) Chairman of the Chaturdham Veda Bhavan Nyas, Kanpur or his nominee.
12. 4(xi) Vice Chancellor, Central Sanskrit University (earlier Rashtriya Sanskrit Sansthan), New Delhi.
13. 4(xii) Director, Vedic Sansodhan Mandal, Pune.
14. 4(xiii) Secretary, Indira Kala Pratisthan or his nominee.
15. 4(xiv) One representative each of
 - a) Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University, New Delhi and
 - b) National Sanskrit University, Tirupati.
16. 4(xv) Vice Chancellors of
 - a) Kameshwar Singh Darbhanga University,
 - b) Sampoorananand Sanskrit University,
 - c) Jagannath University, and
 - d) Gurukul Kangri Vishwavidyalaya or their nominees
17. 4(xvi) Director, V.R.R.I, Hoshiarpur or his nominee.
18. 4(xvii) One representative of the Department of Culture.
19. 4(xviii) Secretary, Maharshi Sandipani Rashtriya Ved Vidya Pratisthan, Ujjain, and
20. 4(xix) Associate Members. Joint Secretary(Language) will be an associate member.

SUMAN DIXIT, Deputy Secretary